रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2230] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2019/आषाढ़ 19, 1941
No. 2230] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2019/ ASHADHA 19, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2019

का.आ. 2455(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. डब्ल्यूएलपी/1085/ सी.आर.581/ वी.एफ.5/ दिनांक 16 सितंबर, 1985 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य से संबंधित अभयारण्य राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य का 351.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घोषित किया है;

और, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य प्रचुर पक्षी-जीवों के लिए विख्यात है, जिसमें प्रवासी पक्षियों सहित लगभग 264 प्रजातियाँ हैं, भारतीय मूल के कई क्षेत्रीय पक्षी साल भर यहाँ रहते हैं, इस क्षेत्र से प्रजनन करते हैं, क्षेत्र में महत्वपूर्ण रैप्टर हनी बज़र्ड, सर्प ईगल, हाव्क ईगल, सफेद बिल्लिड समुद्री ईगल हैं;

और, इस क्षेत्र में बहुत समृद्ध जीवजन्तुओं और वनस्पतियों की विविधता सहित स्तनधारियों की लगभग 47 प्रजातियाँ, सरीसृपों की लगभग 59 प्रजातियाँ, उभयचरों की 20 प्रजातियाँ और तितलियों की 66 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इस क्षेत्र की वनस्पतियों का प्रतिनिधित्व दक्षिणी उष्णकटिबंधीय अर्ध-सदाबहार और पश्चिमी तट अर्ध सदाबहार वन, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन एवं पश्चिमी तट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन द्वारा किया जाता है;

और, यह क्षेत्र बाघ, तेंदुए, रीछ, जंगली कुत्ते, भारतीय गौर, सांभर, मुंजक और माउस हिरण जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीवों को भी आश्रय प्रदान करता है;

और, उपर्युक्त अभयारण्य मानव वास और चल रही विकासात्मक क्रियाकलापों के अति निकट होने से अभयारण्य के लिए, उचित सुरक्षा उपायों और ऐसी क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है;

और, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमे इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहाँ गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर और सिंदुदुर्ग जिला के राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 32 मीटर से 6.01 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 32 मीटर से 6.01 किलोमीटर की दूरी तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 230.61 वर्ग किलोमीटर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की न्यूनतम सीमा 32 मीटर पिराल गांव के पास वन भूमि की अनुपलब्धता के कारण है।

(2) राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध- II** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है ।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IVक** के रूप में संलग्न है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ग्रामों की प्रभाग-वार संख्या और वन एवं गैर-वन के क्षेत्र **उपाबंध-IVख** के रूप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई और लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय

जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। महायोजना में प्रस्तावित और विद्यमान भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी सहायक मानचित्र द्वारा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और पैरा 4 की सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग**.– (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ 4 में उल्लिखित क्रियाकलाप;

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन**.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

तथापि, पारिस्थितिकी-पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन

क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत**.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.– पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों जो भी अधिक कठोर हो के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात**.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने

नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाईयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए घरों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या घरों या अन्य क्रियाकलापों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोदाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में किया जायेगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
	का निस्सारण ।	
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी ।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
		जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
14.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
21.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
22.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
23.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगा ।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
25.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पवन चक्कियाँ और टरबाइन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग, आदि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागवानी और वनौषधियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- प्रभावी मानीटरी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	**मानीटरी समिति का गठन**	**पद**
(i)	कलेक्टर, कोल्हापुर	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	कलेक्टर सिंधुदुर्ग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(v)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर योजनाकार	सदस्य;
(vi)	महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	महाराष्ट्र सरकार के सिंचाई विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक, सह्याद्री बाघ परियोजना, कोल्हापुर का प्रतिनिधि	सदस्य;
(x)	महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाला प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(xi)	उप वन संरक्षक (टी), सावंतवाड़ी प्रभाग	सदस्य;
(xii)	उप वन संरक्षक (टी), कोल्हापुर प्रभाग	सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोडकर वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल- विशिष्ठ दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध -V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/02/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

महाराष्ट्र राज्य के राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य का उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन अभयारण्य सीमा से 0.0324 से 6.01 किमी तक का क्षेत्र है। उक्त अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग जिलों में देशांतर - 73° 49' 59.4" से 74° 03' 11.57" पूर्व और अक्षांश- 16° 29' 19.9" से 16° 12' 04.5" उत्तर में स्थित है ।

राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के मध्य के ग्राम निम्नानुसार हैं-

उत्तर	बोरबेट, गैरीवाडे, कमंडलगाँव, मनबेट, राय, बवेली।
पूर्व	बवेली, तालगाँव, दुर्गमनवाड़, पिरल, शिरोली, बुजवाडे, हेलेवाड़ी, पनोरी, फराले, आइनी, फये, खेड़ेज, येरंडपे, वासनोली।
दक्षिण	कोंडोशी, तांबेल, अंटुरली, शिवदेव, दुर्गानगर।
पश्चिम	दुर्गानगर, यवतेश्वर, जंबलगाँव, नारदवे, रंजनगांव, नटाल, कुंभवदे, भीरवंडे, रामेश्वर, गांधीनगर, हरूल के डी., फोंडा, घंसारी, कुर्ली, शिरले, तलैये के डी.।

उपाबंध-II

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र

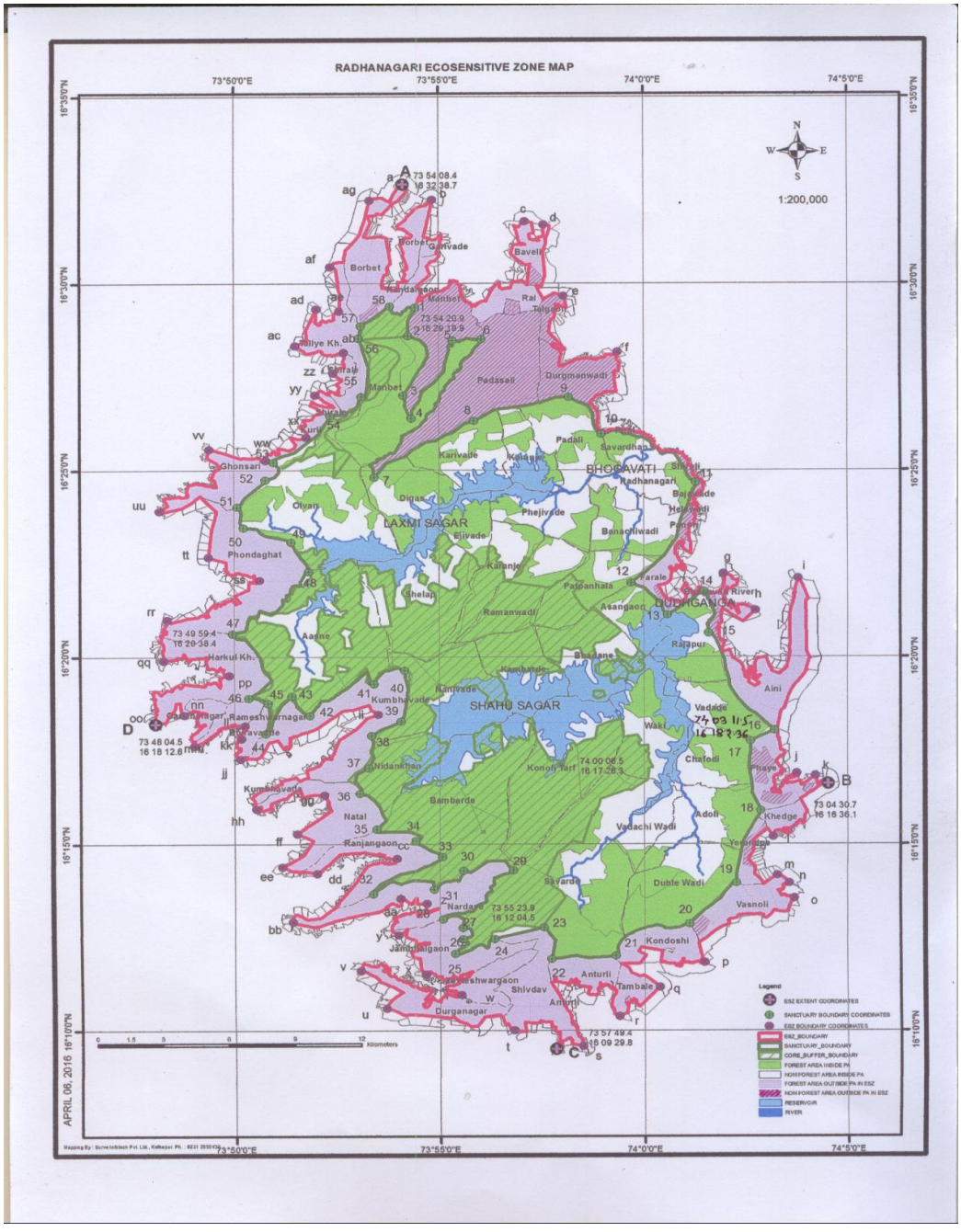

उपाबंध-III

सारणी क: राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	ग्राम के नाम	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)
1.	मनबेट	73.90713	16.489176
2.	मनबेट	73.904201	16.476536
3.	मनबेट	73.90225	16.450124
4.	मनबेट	73.905579	16.439776
5.	मनबेट	73.922335	16.474556
6.	मनबेट	73.933954	16.475094
7.	दिगास	73.890369	16.413439
8.	करीवाडे	73.9309	16.438721
9.	पदाली	73.969466	16.449378
10.	पदाली	73.982785	16.432783
11.	राधानगरी	74.021222	16.411238
12.	पतपानहाला	73.994792	16.366458
13.	आसनगांव	74.009625	16.352004
14.	राजापुर	74.024614	16.362574
15.	राजापुर	74.026483	16.343897
16.	वदादे	74.053215	16.300658
17.	चफोदी	74.043482	16.295931
18.	अदोली	74.047443	16.264714
19.	दुबलेवाडी	74.037428	16.23265
20.	दुबलेवाडी	74.018244	16.214277
21.	सावरदे	73.988368	16.199884
22.	सावरदे	73.962131	16.198451
23.	सावरदे	73.959142	16.212655
24.	सावरदे	73.938883	16.207425
25.	सावरदे	73.922965	16.200842
26.	सावरदे	73.92627	16.207373
27.	सावरदे	73.926041	16.212381
28.	सावरदे	73.918012	16.216325
29.	सावरदे	73.946578	16.238215

क्र. सं.	ग्राम के नाम	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)
30.	बमबारदे	73.926333	16.237978
31.	बमबारदे	73.914241	16.229682
32.	बमबारदे	73.889633	16.227643
33.	बमबारदे	73.917814	16.244287
34.	बमबारदे	73.907059	16.25142
35.	बमबारदे	73.891058	16.256412
36.	निदनखान	73.884386	16.272352
37.	निदनखान	73.887952	16.283851
38.	ननीवाले	73.889119	16.298298
39.	ननीवाले	73.901144	16.304699
40.	ननीवाले	73.902623	16.327368
41.	आसने	73.890164	16.32136
42.	आसने	73.864173	16.307198
43.	आसने	73.856784	16.315954
44.	आसने	73.846271	16.299168
45.	आसने	73.847144	16.312792
46.	आसने	73.839273	16.315115
47.	आसने	73.832586	16.343762
48.	आसने	73.863773	16.371629
49.	ओलावन	73.856549	16.384789
50.	ओलावन	73.837298	16.391105
51.	ओलावन	73.834617	16.4004416
52.	ओलावन	73.846267	16.412198
53.	ओलावन	73.84948	16.420092
54.	ओलावन	73.872572	16.440951
55.	ओलावन	73.885323	16.449457
56.	मनबेट	73.88422	16.475464
57.	मनबेट	73.885117	16.480881
58.	मनबेट	73.896903	16.489779

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	ग्राम के नाम	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)
ए.	बोरबेट	73.91416	16.537362
बी.	बोरबेट	73.902045	16.544018
सी.	बवेली	73.951668	16.527679
डी.	बवेली	73.959489	16.526322
ई.	तालागांव	73.967479	16.494316
एफ.	दुर्गमनवाड	73.989303	16.469496
जी.	ऐनी	74.032411	16.370571
एच.	ऐनी	74.045721	16.354227
आई.	ऐनी	74.0629	16.368563
जे.	फराले	74.062381	16.281577
के.	फराले	74.070029	16.280337
एल.	खेड़ेज	74.052604	16.253288
एम.	वशोली	74.054176	16.236109
एन.	वशोली	74.059114	16.232607
ओ.	वशोली	74.061189	16.225764
पी.	कोंदोशी	74.02452	16.196906
क्यू.	तमबाले	74.006105	16.185945
आर.	तमबाले	73.989675	16.173073
एस.	शिवदाव	73.974937	16.159737
टी.	शिवदाव	73.946841	16.166893
यू.	दुर्गानगर	73.89499	16.176418
वी.	दुर्गानगर	73.884577	16.193342
डब्ल्यू.	दुर्गानगर	73.930066	16.179276
एक्स.	जम्बलगांव	73.911043	16.191603
वाई.	जम्बलगांव	73.899885	16.20927
जेड.	नरदावे	73.911433	16.223414
एए.	नरदावे	73.900762	16.225671
बीबी.	नरदावे	73.857004	16.215524
सीसी.	रंजनगांव	73.899334	16.243455
डीडी.	रंजनगांव	73.866873	16.236738
ईई.	नटल	73.85283	16.239708

क्र. सं.	ग्राम के नाम	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)
एफएफ.	नटल	73.858788	16.254548
जीजी.	नटल	73.870013	16.271785
एचएच.	नटल	73.842383	16.265479
आईआई.	कुंबावडे	73.891798	16.307882
जेजे.	भीरवंदे	73.835984	16.287844
केके.	भीरवंदे	73.836412	16.297126
एलएल.	भीरवंदे	73.83773	16.302847
एमएम.	रामेश्वरनगर	73.817077	16.293707
एनएन.	गांधीनगर	73.813108	16.307619
ओओ.	हरकुल के डी.	73.801214	16.303826
पीपी.	हरकुल के डी.	73.831451	16.325108
क्यूक्यू.	हरकुल के डी.	73.8047	16.331681
आरआर.	फोंडा	73.806158	16.350026
एसएस.	फोंडा	73.843827	16.367665
टीटी.	फोंडा	73.823029	16.378052
यूयू.	फोंडा	73.803173	16.398602
वीवी.	घोनसारी	73.823324	16.425911
डब्ल्यू डब्ल्यू.	घोनसारी	73.84629	16.42101
एक्स एक्स.	कुरली	73.862857	16.431281
वाई वाई	शिराले	73.866508	16.450222
जेडजेड.	शिराले	73.873802	16.460172
ए बी	तलिये के डी.	73.878064	16.469184
ए सी	तलिये के डी.	73.858461	16.472214
ए डी	तलिये के डी.	73.867053	16.488401
ए ई	तलिये के डी.	73.876307	16.487464
ए एफ	तलिये के डी.	73.872612	16.507474
ए जी	बोरबेट	73.88863	16.537103

उपाबंध-IVक

भू-निर्देशांकों के साथ राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	जिला	तालुका	ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	कोल्हापुर	गगनबावाडा	तालिये केडी	16⁰ 30' 26.5"	73⁰ 52' 21.8"
2	कोल्हापुर	गगनबावाडा	बोरबेट	16⁰ 30' 14.2"	73⁰ 53' 45.4"
3	कोल्हापुर	गगनबावाडा	गरिवाडे	16⁰ 31' 19"	73⁰ 55' 04.3"
4	कोल्हापुर	राधानगरी	कुण्डलगांव	16⁰ 30' 14.3"	73⁰ 54' 47.5"
5	कोल्हापुर	राधानगरी	मनबेट	16⁰ 30' 04.4"	73⁰ 55' 22"
6	कोल्हापुर	राधानगरी	राय	16⁰ 29' 51.9"	73⁰ 56' 40.9"
7	कोल्हापुर	राधानगरी	पडसाली	16⁰ 29' 18.14"	73⁰ 57' 24.0"
8	कोल्हापुर	गगनबावाडा	बवेली	16⁰ 30' 53.8"	73⁰ 56' 47.7"
9	कोल्हापुर	राधानगरी	तालगांव	16⁰ 29' 01.4"	73⁰ 57' 44.2"
10	कोल्हापुर	राधानगरी	दुर्गामनवाड	16⁰ 27' 53.9"	73⁰ 59' 24.1"
11	कोल्हापुर	राधानगरी	पिराल	16⁰ 25' 59.6"	73⁰ 59' 49.4"
12	कोल्हापुर	राधानगरी	शिरोली	16⁰ 25' 07.8"	74⁰ 01' 08.9"
13	कोल्हापुर	राधानगरी	बुजावाडे	16⁰ 24' 18.6"	74⁰ 01' 17.2"
14	कोल्हापुर	राधानगरी	हेलेवाडी	16⁰ 23' 51.4"	74⁰ 01' 15.1"
15	कोल्हापुर	राधानगरी	पनोरी	16⁰ 23' 29.3"	74⁰ 01' 06.9"
16	कोल्हापुर	राधानगरी	फराले	16⁰ 21' 49.5"	74⁰ 00' 23.4"
17	कोल्हापुर	राधानगरी	ऐनी	16⁰ 19' 58.0"	74⁰ 02' 52.9"
18	कोल्हापुर	भुदरगढ़	फाये	16⁰ 16' 57.2"	74⁰ 03' 26.5"
19	कोल्हापुर	भुदरगढ़	खेदाडे	16⁰ 15' 26.3"	74⁰ 03' 38.9"
20	कोल्हापुर	भुदरगढ़	येरानदापे	16⁰ 14' 41.5"	74⁰ 02' 35.8"
21	कोल्हापुर	भुदरगढ़	वसनोली	16⁰ 13' 06.4"	74⁰ 02' 44.8"
22	कोल्हापुर	भुदरगढ़	कोंदोशी	16⁰ 12' 08.4"	74⁰ 00' 18.8"
23	कोल्हापुर	भुदरगढ़	तमबाले	16⁰ 10' 43.6"	73⁰ 59' 57.8"
24	कोल्हापुर	भुदरगढ़	अंतुरली	16⁰ 11' 09.9"	73⁰ 58' 30.7"
25	कोल्हापुर	भुदरगढ़	शिवदेवो	16⁰ 09' 58"	73⁰ 57' 49"
26	सिंधुदुर्ग	कुदाल	दुर्गानगर	16⁰ 10' 23.1"	73⁰ 54' 43.5"
27	सिंधुदुर्ग	कुदाल	येवतेश्वर	16⁰ 11' 08.9"	73⁰ 55' 08.6"

क्र. सं.	जिला	तालुका	ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
28	सिंधुदुर्ग	कुदाल	जम्भालगांव	16⁰ 11' 56.7"	73⁰ 54' 21.1"
29	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	नरदावे	16⁰ 13' 22.8"	73⁰ 54' 18"
30	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	रंजनगांव	16⁰ 14' 38.1"	73⁰ 53' 38.7"
31	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	नटाल	16⁰ 15' 51.1"	73⁰ 52' 19.9"
32	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	कुम्भावाडे	16⁰ 18' 43.1"	73⁰ 53' 17.3"
33	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	भिरवान्दे	16⁰ 17' 44.6"	73⁰ 50' 04.4"
34	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	रामेश्वरनगर	16⁰ 18' 09.4"	73⁰ 49' 55.1"
35	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	गांधीनगर	16⁰ 18' 21.5"	73⁰ 49' 05.6"
36	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	हरकुल के डी.	16⁰ 19' 25.3"	73⁰ 49' 38.8"
37	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	फोन्डा	16⁰ 22' 32.7"	73⁰ 49' 48.5"
38	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	घोनसारी	16⁰ 24' 54.3"	73⁰ 49' 30.4"
39	सिंधुदुर्ग	वैभववाडी	कुरली	16⁰ 25' 52.4"	73⁰ 51' 46.4"
40	सिंधुदुर्ग	वैभववाडी	शिराले	16⁰ 27' 36.6"	73⁰ 52' 25.8"

उपाबंध-IVख

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ग्रामों की प्रभाग-वार संख्या और वन एवं गैर-वन के क्षेत्र

					(क्षेत्र हेक्टेयर में)		
क्र. सं.	**जिला**	**तालुका**	**श्रेणी**	**ग्रामों की सं.**	**पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र**		**कुल (हेक्टेयर)**
					वन	**गैर वन**	
1	कोल्हापुर	राधानगरी	राधानगरी	13	2296.38	3790.07	6086.45
2	कोल्हापुर	गगनबावाडा	गगनबावाडा	4	2114.98	97.73	2212.71
3	कोल्हापुर	भुदरगढ़	गरगोटी	3	1134.17	229.77	1363.94
4	कोल्हापुर	भुदरगढ़	कदगांव	5	3316.2	56.04	3372.24
	कुल कोल्हापुर प्रभाग			**25**	**8861.73**	**4173.61**	**13035.34**
5	सिंधुदुर्ग	कुदाल	कदावाल	3	1618.45	0.00	1618.45
6	सिंधुदुर्ग	कनकावली एवं वैभववाडी	कनकावली	12	8407.76	0.00	8407.76
	कुल सावन्तवाडी प्रभाग			**15**	**10026.21**	**0.00**	**10026.21**
	कुल योग			**40**	**18887.94**	**4173.61**	**23061.55**

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्रः

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2019

S.O. 2455(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Government of Maharashtra *vide* its Gazette Notification No. WLP/1085/C.R.581/V.F.5/ dated 16th September, 1985 has declared 351.16 square kilometre area of Radhanagari Wildlife Sanctuary under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) comprising of the Sanctuary in the State of Maharashtra;

AND WHEREAS, the Radhanagari Wildlife Sanctuary is known for rich avifauna with about 264 species of birds including migratory, a number of territorial birds of Indian origin stay here around the year, breeding of have been recorded from this region, Honey buzzard, serpent eagle, hawk eagle, white bellied sea eagle are important raptors in the area;

AND WHEREAS, the area has very high faunal and floral diversity with about 47 species of mammals, about 59 species of reptiles, 20 species of amphibian and 66 species of butterflies are found and the flora of this area is represented by Southern tropical semi-evergreen and west coast semi evergreen forests, southern tropical moist mixed deciduous forests & West coast tropical evergreen forests;

AND WHEREAS, the area also supports important wildlife such as tiger, leopard, sloth bear, wild dog, Indian gaur, sambhar, barking deer and mouse deer;

AND WHEREAS, the extremely close vicinity of the above-mentioned Sanctuary to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Radhanagari Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 32 metres to 6.01 kilometres around the boundary of Radhanagari Wildlife Sanctuary, in Kolhapur and Sindudurg districts in the State of Maharashtra as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.–**(1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent of 32 metres to 6.01 kilometres around the boundary of Radhanagari Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-Sensitive Zone is 230.61 square kilometres. The minimum extent of Eco-Sensitive Zone i. e. 32 meters is due to non availability of forest land near Piral village.

   (2) The boundary description of Radhanagari Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Radhanagari Wildlife Sanctuary demarcating Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-II.**

   (4) List of geo-coordinates of the boundary of Radhanagari Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III.**

   (5) The list of villages falling in the proposed Eco-Sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IVA** and division-wise number of villages and area of forest and non-forest of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IVB .**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan: -

      (i) Environment;
      (ii) Forest;
      (iii) Urban Development;
      (iv) Tourism;
      (v) Municipal;
      (vi) Revenue;
      (vii) Agriculture;
      (viii) Maharashtra State Pollution Control Board;
      (ix) Irrigation; and Public Works Department.

   (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

   (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.–(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development.

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.-All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.-Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.-Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.-Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.-Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.–Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.-The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.-The construction and demolition waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.-The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.–The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.-Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.–(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.-The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws
14.	New wood based industry.	Regulated as per the applicable laws
15.	Commercial use of firewood.	Regulated as per the applicable laws
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Wind mills and turbines	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification. - For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3

of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Collector, Kolhapur	Chairman, ex officio
(ii)	A representative of the Collector Sindhudurg	Member;
(iii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iv)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member;
(v)	Senior Town Planner of the area	Member;
(vi)	A representative of the Department of Revenue, Government of Maharashtra	Member;
(vii)	A representative of the Department of Irrigation, Government of Maharashtra	Member;
(viii)	A representative of the Public Works Department, Government of Maharashtra	Member;
(ix)	A representative of Chief Conservator of Forests and Field Director, Sahyadri Tiger Project, Kolhapur	Member;
(x)	One expert in the area of ecology and environment from reputed Institution or University of the State to be nominated by the Government of Maharashtra	Member;
(xi)	Deputy Conservator of Forests (T), Sawantwadi Division	Member;
(xii)	Deputy Conservator of Forests (T), Kolhapur Division	Member-Secretary.

6. Terms of reference.–(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and

are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/02/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF RADHANAGARI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECOSENSITIVE ZONE IN THE STATE MAHARASHTRA

The said Eco-Sensitive Zone of the Radhnagari Wildlife Sanctuary is the area upto 0.0324 to 6.01 km from the Sanctuary boundary. The said Sanctuary is situated in the Kolhapur & Sindhudurg districts of Maharashtra State In between Longitude- 73° 49' 59.4" to 74° 03' 11.57" East and Latitude- 16° 29' 19.9" to 16° 12' 04.5" North.

Villages between Radhnagari Wildlife Sanctuary are as follows-

North	Borbet, Garivade, Kandalgaon, Manbet, Rai, Baveli.
East	Baveli, Talgaon**,** Durgamanwad, Piral, Shiroli, Bujwade, Helewadi, Panori, Pharale, Aini, Phaye, Khedage, Yerandape,Vasnoli.
South	Kondoshi, Tambale, Anturli, Shivdav, Durganagar.
West	Durganagar, Yavateshawar, Jambhalgaon, Nardave, Ranjangaon, Natal, Kumbhavade, Bhirvande, Rameshwar, Gandhinagar, Harul Kd., Phonda, Ghonsari, Kurli, Shirale, Taliye kd.

ANNEXURE- II

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RADHANAGARI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

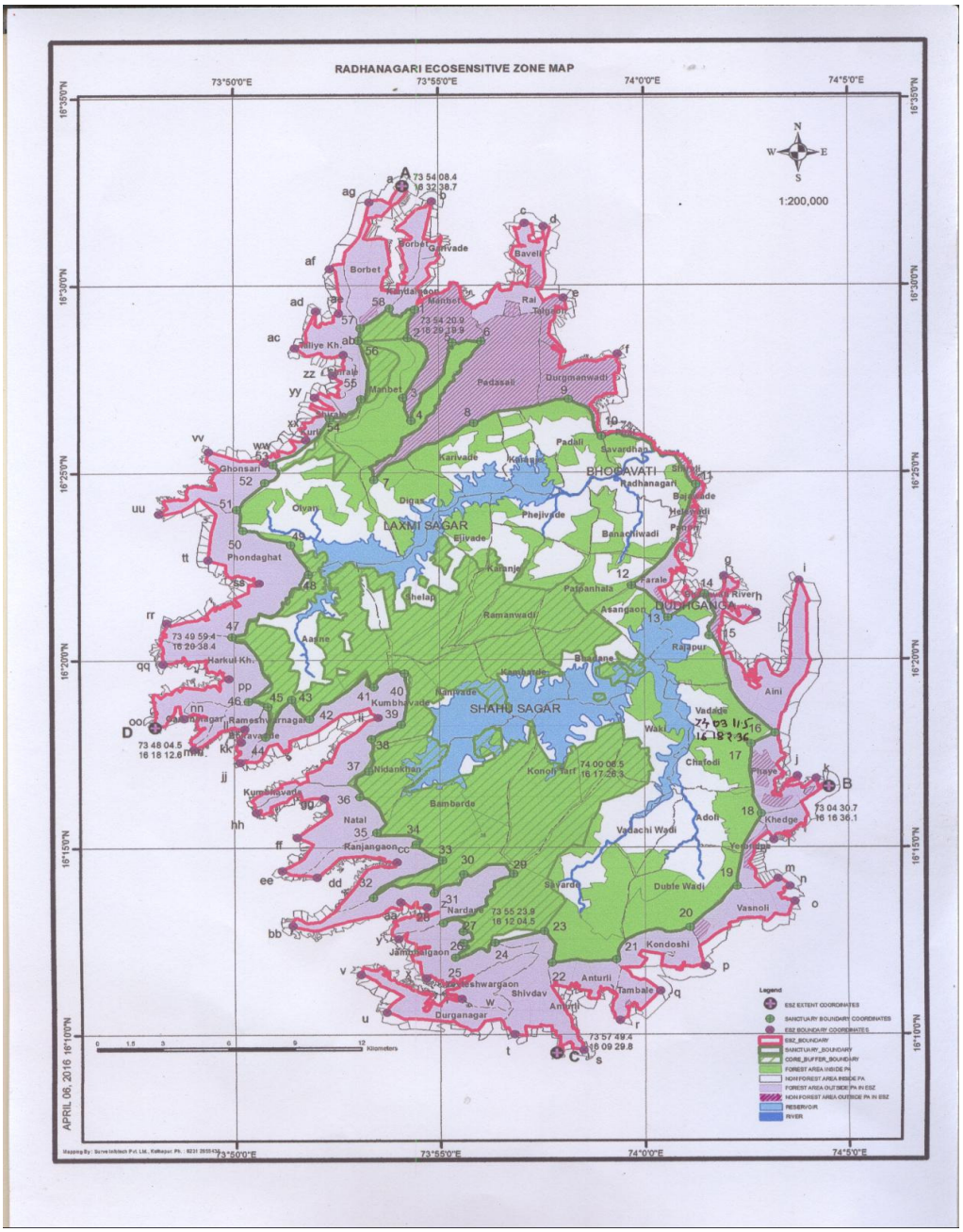

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF RADHANAGARI WILDLIFE SANCTUARY

Sr. No.	Village Name	Longitude (E)	Latitude (N)
1.	Manbet	73.90713	16.489176
2.	Manbet	73.904201	16.476536

Sr. No.	Village Name	Longitude (E)	Latitude (N)
3.	Manbet	73.90225	16.450124
4.	Manbet	73.905579	16.439776
5.	Manbet	73.922335	16.474556
6.	Manbet	73.933954	16.475094
7.	Digas	73.890369	16.413439
8.	Karivade	73.9309	16.438721
9.	Padali	73.969466	16.449378
10.	Padali	73.982785	16.432783
11.	Radhanagari	74.021222	16.411238
12.	Patpanhala	73.994792	16.366458
13.	Asangao	74.009625	16.352004
14.	Rajapur	74.024614	16.362574
15.	Rajapur	74.026483	16.343897
16.	Vadade	74.053215	16.300658
17.	Chafodi	74.043482	16.295931
18.	Adoli	74.047443	16.264714
19.	Dubalewadi	74.037428	16.23265
20.	Dubalewadi	74.018244	16.214277
21.	Savarde	73.988368	16.199884
22.	Savarde	73.962131	16.198451
23.	Savarde	73.959142	16.212655
24.	Savarde	73.938883	16.207425
25.	Savarde	73.922965	16.200842
26.	Savarde	73.92627	16.207373
27.	Savarde	73.926041	16.212381
28.	Savarde	73.918012	16.216325
29.	Savarde	73.946578	16.238215
30.	Bambarde	73.926333	16.237978
31.	Bambarde	73.914241	16.229682
32.	Bambarde	73.889633	16.227643
33.	Bambarde	73.917814	16.244287
34.	Bambarde	73.907059	16.25142
35.	Bambarde	73.891058	16.256412

Sr. No.	Village Name	Longitude (E)	Latitude (N)
36.	Nidankhan	73.884386	16.272352
37.	Nidankhan	73.887952	16.283851
38.	Nanivale	73.889119	16.298298
39.	Nanivale	73.901144	16.304699
40.	Nanivale	73.902623	16.327368
41.	Asane	73.890164	16.32136
42.	Asane	73.864173	16.307198
43.	Asane	73.856784	16.315954
44.	Asane	73.846271	16.299168
45.	Asane	73.847144	16.312792
46.	Asane	73.839273	16.315115
47.	Asane	73.832586	16.343762
48.	Asane	73.863773	16.371629
49.	Olavan	73.856549	16.384789
50.	Olavan	73.837298	16.391105
51.	Olavan	73.834617	16.4004416
52.	Olavan	73.846267	16.412198
53.	Olavan	73.84948	16.420092
54.	Olavan	73.872572	16.440951
55.	Olavan	73.885323	16.449457
56.	Manbet	73.88422	16.475464
57.	Manbet	73.885117	16.480881
58.	Manbet	73.896903	16.489779

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sr. No.	Village Name	Longitude (E)	Latitude (N)
a.	Borbet	73.91416	16.537362
b.	Borbet	73.902045	16.544018
c.	Baveli	73.951668	16.527679
d.	Baveli	73.959489	16.526322
e.	Talagaon	73.967479	16.494316
f.	Durgmanwad	73.989303	16.469496
g.	Aini	74.032411	16.370571
h.	Aini	74.045721	16.354227

Sr. No.	Village Name	Longitude (E)	Latitude (N)
i.	Aini	74.0629	16.368563
j.	Farale	74.062381	16.281577
k.	Farale	74.070029	16.280337
l.	Khedage	74.052604	16.253288
m.	Vasholi	74.054176	16.236109
n.	Vasholi	74.059114	16.232607
o.	Vasholi	74.061189	16.225764
p.	Kondoshi	74.02452	16.196906
q.	Tambale	74.006105	16.185945
r.	Tambale	73.989675	16.173073
s.	Shivdav	73.974937	16.159737
t.	Shivdav	73.946841	16.166893
u.	Durganagar	73.89499	16.176418
v.	Durganagar	73.884577	16.193342
w.	Durganagar	73.930066	16.179276
x.	Jambalgaon	73.911043	16.191603
y.	Jambalgaon	73.899885	16.20927
z.	Naradave	73.911433	16.223414
aa.	Naradave	73.900762	16.225671
bb.	Naradave	73.857004	16.215524
cc.	Ranjangao	73.899334	16.243455
dd.	Ranjangao	73.866873	16.236738
ee.	Natal	73.85283	16.239708
ff.	Natal	73.858788	16.254548
gg.	Natal	73.870013	16.271785
hh.	Natal	73.842383	16.265479
ii.	Kumbavade	73.891798	16.307882
jj.	Bhirvande	73.835984	16.287844
kk.	Bhirvande	73.836412	16.297126
ll.	Bhirvande	73.83773	16.302847
mm.	Rameswernagar	73.817077	16.293707
nn.	Ghandinagar	73.813108	16.307619
oo.	Harkul Kd.	73.801214	16.303826

Sr. No.	Village Name	Longitude (E)	Latitude (N)
pp.	Harkul Kd.	73.831451	16.325108
qq.	Harkul Kd.	73.8047	16.331681
rr.	Phonda	73.806158	16.350026
ss.	Phonda	73.843827	16.367665
tt.	Phonda	73.823029	16.378052
uu.	Phonda	73.803173	16.398602
vv.	Ghonsari	73.823324	16.425911
ww.	Ghonsari	73.84629	16.42101
xx.	Kurali	73.862857	16.431281
yy.	Shirale	73.866508	16.450222
zz.	Shirale	73.873802	16.460172
ab	Taliye kd.	73.878064	16.469184
ac	Taliye kd.	73.858461	16.472214
ad	Taliye kd.	73.867053	16.488401
ae	Taliye kd.	73.876307	16.487464
af	Taliye kd.	73.872612	16.507474
ag	Borbet	73.88863	16.537103

ANNEXURE-IVA

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF RADHANAGARI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sr. No.	District	Taluka	Name of Village	Latitude	Longitude
1	Kolhapur	Gaganbawada	Taliye Kd	16^0 30' 26.5"	73^0 52' 21.8"
2	Kolhapur	Gaganbawada	Borbet	16^0 30' 14.2"	73^0 53' 45.4"
3	Kolhapur	Gaganbawada	Garivade	16^0 31' 19"	73^0 55' 04.3"
4	Kolhapur	Radhanagari	Kandalgaon	16^0 30' 14.3"	73^0 54' 47.5"
5	Kolhapur	Radhanagari	Manbet	16^0 30' 04.4"	73^0 55' 22"
6	Kolhapur	Radhanagari	Rai	16^0 29' 51.9"	73^0 56' 40.9"
7	Kolhapur	Radhanagari	Padsali	16^0 29' 18.14"	73^0 57' 24.0"
8	Kolhapur	Gaganbawada	Baveli	16^0 30' 53.8"	73^0 56' 47.7"
9	Kolhapur	Radhanagari	Talgaon	16^0 29' 01.4"	73^0 57' 44.2"
10	Kolhapur	Radhanagari	Durgamanwad	16^0 27' 53.9"	73^0 59' 24.1"
11	Kolhapur	Radhanagari	Piral	16^0 25' 59.6"	73^0 59' 49.4"
12	Kolhapur	Radhanagari	Shiroli	16^0 25' 07.8"	74^0 01' 08.9"
13	Kolhapur	Radhanagari	Bujawade	16^0 24' 18.6"	74^0 01' 17.2"
14	Kolhapur	Radhanagari	Helewadi	16^0 23' 51.4"	74^0 01' 15.1"

Sr. No.	District	Taluka	Name of Village	Latitude	Longitude
15	Kolhapur	Radhanagari	Panori	16^0 23' 29.3"	74^0 01' 06.9"
16	Kolhapur	Radhanagari	Pharale	16^0 21' 49.5"	74^0 00' 23.4"
17	Kolhapur	Radhanagari	Aini	16^0 19' 58.0"	74^0 02' 52.9"
18	Kolhapur	Bhudargad	Phaye	16^0 16' 57.2"	74^0 03' 26.5"
19	Kolhapur	Bhudargad	Khedage	16^0 15' 26.3"	74^0 03' 38.9"
20	Kolhapur	Bhudargad	Yerandape	16^0 14' 41.5"	74^0 02' 35.8"
21	Kolhapur	Bhudargad	Vasnoli	16^0 13' 06.4"	74^0 02' 44.8"
22	Kolhapur	Bhudargad	Kondoshi	16^0 12' 08.4"	74^0 00' 18.8"
23	Kolhapur	Bhudargad	Tambale	16^0 10' 43.6"	73^0 59' 57.8"
24	Kolhapur	Bhudargad	Anturli	16^0 11' 09.9"	73^0 58' 30.7"
25	Kolhapur	Bhudargad	Shivdao	16^0 09' 58"	73^0 57' 49"
26	Sindhudurg	Kudal	Durganagar	16^0 10' 23.1"	73^0 54' 43.5"
27	Sindhudurg	Kudal	Yevateshwar	16^0 11' 08.9"	73^0 55' 08.6"
28	Sindhudurg	Kudal	Jambhalgaon	16^0 11' 56.7"	73^0 54' 21.1"
29	Sindhudurg	Kankavali	Nardave	16^0 13' 22.8"	73^0 54' 18"
30	Sindhudurg	Kankavali	Ranjangaon	16^0 14' 38.1"	73^0 53' 38.7"
31	Sindhudurg	Kankavali	Natal	16^0 15' 51.1"	73^0 52' 19.9"
32	Sindhudurg	Kankavali	Kumbhawade	16^0 18' 43.1"	73^0 53' 17.3"
33	Sindhudurg	Kankavali	Bhirwande	16^0 17' 44.6"	73^0 50' 04.4"
34	Sindhudurg	Kankavali	Rameshwarnagar	16^0 18' 09.4"	73^0 49' 55.1"
35	Sindhudurg	Kankavali	Gandhinagar	16^0 18' 21.5"	73^0 49' 05.6"
36	Sindhudurg	Kankavali	Harkul Kd.	16^0 19' 25.3"	73^0 49' 38.8"
37	Sindhudurg	Kankavali	Phonda	16^0 22' 32.7"	73^0 49' 48.5"
38	Sindhudurg	Kankavali	Ghonsari	16^0 24' 54.3"	73^0 49' 30.4"
39	Sindhudurg	Vaibhavwadi	Kurli	16^0 25' 52.4"	73^0 51' 46.4"
40	Sindhudurg	Vaibhavwadi	Shirale	16^0 27' 36.6"	73^0 52' 25.8"

ANNEXURE-IVB

DIVISION-WISE NUMBER OF VILLAGES AND AREA OF FOREST & NON-FOREST OF THE ECO-SENSITIVE ZONE

					(Area in Ha.)		
Sr. No.	District	Taluka	Range	No of Villages	ESZ Area		Total (Ha.)
					Forest	Non Forest	
1	Kolhapur	Radhanagari	Radhanagari	13	2296.38	3790.07	6086.45
2	Kolhapur	Gaganbavada	Gaganbavada	4	2114.98	97.73	2212.71
3	Kolhapur	Bhudargad	Gargoti	3	1134.17	229.77	1363.94
4	Kolhapur	Bhudargad	Kadgaon	5	3316.2	56.04	3372.24
	Kolhapur Division Total			**25**	**8861.73**	**4173.61**	**13035.34**

5	Sindhudurg	Kudal	Kadawal	3	1618.45	0.00	1618.45
6	Sindhudurg	Kankavali & Vaibhavwadi	Kankavali	12	8407.76	0.00	8407.76
	Sawantwadi Division Total			**15**	**10026.21**	**0.00**	**10026.21**
	Grand Total			**40**	**18887.94**	**4173.61**	**23061.55**

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.07.13 10:36:13 +05'30'